CNR No. UPBU10002321-2022

न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनूपशहर बुलन्दशहर।
जमानत :-960 सन 2022
सरकार.....बनाम..... सूरज।

10.08.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सूरज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 224 /2022 अन्तर्गत धारा 379,411, भारतीय दण्ड संहिता, थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है, अभियुक्त को इलाका पुलिस द्वारा झूँठा फंसाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्र.सू०रि.में रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी का नाम प्र.सू.रि में नहीं लिखाया गया है और ना ही पुलिस को ऐसा कोई ब्यान दिया है कि उक्त मुल्जिमान को सामने आने पर पहँचान लूंगा। रिपोर्टकर्ता को उक्त घटना में संलिप्त मोटर साईकिल नम्बर भी याद नहीं है और ना ही मोटसाईकिल का कलर व नम्बर भी याद नहीं है। अभियुक्त से जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह पुलिस द्वारा झूँठी दर्शायी गयी है। अभियुक्त एक मजदूर व्यक्ति है पुलिस ने उक्त मुकदमें में साज कर झूँठा फंसाया है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त दिनांक 07.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(परविन्द कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO. Code U.P1837

जय चन्द
आशुलिपिक